

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 311/2013)

(संस्थित दिनांक :- 11/06/13)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. माताप्रसाद पुत्र कप्तान सिंह कुशवाह उम्र 23 साल

02. अमर सिंह पुत्र रामस्वरूप कुशवाह उम्र 33 साल

निवासीगण :- ग्राम कडियार, थाना-पोरसा, जिला-मुरैना, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 04/10/2016 को घोषित)

01. आरोपी माताप्रसाद एवं अमर सिंह पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी माताप्रसाद ने दिनांक :- 12/01/2013 को दोहर लगभग 03:15 बजे पिपहाड़ी हेट नहर के पास सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर का तथा एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा एवं आरोपी अमर सिंह ने अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 315 बोर के दो जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 12/01/2013 को थाना गोहद चौराहा के प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 275 में प्रविष्टि कर मय हमराही फोर्स एवं शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.03/5706 के अपराधियों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग पिपहाड़ी हेट पर लगाई थी। तभी एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.06/एम.एफ/5004 जिस पर दो व्यक्ति सवार थे, चौराहा तरफ भाग रहे थे, रोककर चैक किया तो मोटर साईकिल चलाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली तो उसकी कमर में बाईं तरफ 315 बोर का कट्टा मिला एवं 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम माताप्रसाद पुत्र कप्तान सिंह कुशवाह उम्र 20 वर्ष, निवासी : कुडियार, थाना-पोरसा जिला-मुरैना का होना बताया। मोटर साईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति की तलाशी लेने पर, दाहिनी तरफ पेंट की जेब में 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले। उक्त दोनों व्यक्तियों से आयुध को रखने के संबंध में लाइसेंस वावत् पूछे जाने पर आरोपीगण ने कोई लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपीगण का कृत्य 25/27 आयुध अधिनियम

की परिधि में आने से आरोपी माताप्रसाद से कट्टा, कारतूस एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.06/एम.एफ/5004 विधिवत् जब्तकर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी अमर सिंह से दो जिंदा कारतूस विधिवत् जब्तकर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण माताप्रसाद एवं अमर सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामें बनाये गये। तत्पश्चात् थाने वापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13/13 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण आरक्षक क्रमांक 1043 ब्रजेन्द्र सिंह एवं चन्द्रभान सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूसों का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण माताप्रसाद एवं अमर सिंह के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उन्होंने धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी माताप्रसाद ने दिनांक :- 12/01/2013 को दोहर लगभग 03:15 बजे पिपहाड़ी हेट नहर के पास सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर का तथा एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा एवं आरोपी अमर सिंह ने अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 315 बोर के दो जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय विन्दु क्रमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 12/01/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 275, समय 12:10 बजे प्रविष्टि कर मय हमराह शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.03/5706 से अपराधियों की तलाश एवं सदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग हेतु वाहन चैकिंग लगाई थी,

तभी एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.06/एम.एफ/5004 को रोककर चैक किया, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे, पहले आरोपी ने अपना नाम माताप्रसाद कप्तान सिंह कुशवाह तथा दूसरे ने अपना नाम अमर सिंह पुत्र रामस्वरूप कुशवाह, निवासी : कुडियार, थाना-पोरसा जिला-मुरैना का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी माताप्रसाद की तलाशी लेने पर उसकी बाईं तरफ पेन्ट में 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर का तथा आरोपी अमर सिंह की तलाशी लिये जाने पर उसकी दाहिनी तरफ जेब में 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले। उक्त आरोपीगण से आयुध को रखने के संबंध में लाइसेंस वावत् पूछे जाने पर आरोपीगण ने कोई लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी माताप्रसाद से कट्टा एवं कारतूस मौके पर जब्तकर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी माताप्रसाद को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी अमर सिंह से दो जिंदा कारतूस 315 बोर के जब्तकर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी अमर सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा कट्टा एवं कारतूस का अवक्ष बनाया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08. तत्पश्चात् साक्षी आगे कहता है कि मय माल आरोपीगण को थाना वापस लाया था, जहाँ उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज की गई थी, रोजनामचा सान्हा की प्रति प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13/13 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जो प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 12/01/2013 को साक्षीगण ब्रजेन्द्र सिंह एवं चन्द्रभान सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, जिसके कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह भी व्यक्त किया गया कि अभिसाक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 का कट्टा एवं आर्टिकल ए-02, ए-03 एवं ए-04 के 315 बोर के जिंदा कारतूस, वही कट्टा एवं कारतूस है, जो उसके द्वारा आरोपीगण से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वीरेन्द्र अ.सा.05 का कहना है कि जब वह लोग थाने से निकलते हैं, तो उन्हें यह पता नहीं रहता कि थाने पर किस क्रमांक का अपराध दर्ज होना है। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 उसने थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 13/2013 में बनाये हैं। साक्षी आगे कहता है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसने जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर अपराध क्रमांक 13/2013 पिपहाड़ी हेट नहर पर किस आधार पर लिख दिया। जब्ती पत्रक प्र.पी.

01 एवं प्र.पी.02 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर अपराध क्रमांक 13/2013 अंकित होना दृष्टिगोचर होता है। उक्त जब्ती पत्रक पर जो कि कथित रूप से पिपहाड़ी हेट नहर की पुलिया पर बनाये गये हैं, थाने का अपराध क्रमांक 13/2013 किस प्रकार अंकित हुआ, यह तथ्य साक्षी वीरेन्द्र अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक पर अपराध क्रमांक अंकित होने से इस आशंका को बल मिलता है कि उक्त जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पिपहाड़ी हेट नहर की पुलिया पर तैयार न किये जाकर, थाने पर बैठकर तैयार किया गया हो।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में वीरेन्द्र अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 पर कट्टा एवं कारतूसों को घटनास्थल पर सील किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और उन पर सील नमूना भी अंकित नहीं है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि उन पर जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस को घटनास्थल पर सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही कोई सील नमूना अंकित है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में वीरेन्द्र अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-01 लगायत ए-04 के रूप में चिन्हित किये गये कट्टे एवं कारतूसों पर जब्ती चिट नहीं लगाई गई हैं। उक्त जब्ती चिट क्यों नहीं लगाई गई कट्टा एवं कारतूसों को मौके पर सीलबंद किये जाने का उल्लेख जब्ती पत्रकों में क्यों नहीं किया गया तथा जब्ती पत्रकों पर सीलनमूना अंकित क्यों नहीं किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण वीरेन्द्र अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि सुरेश दुबे अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि जांच हेतु प्राप्त कट्टा एवं कारतूसों पर गवाहों के हस्ताक्षरयुक्त चिट चिपकी थी। इस प्रकार जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस पर गवाहों के हस्ताक्षर युक्त जब्ती चिट चिपकाई गई थी, अथवा नहीं, इस वावत् वीरेन्द्र अ.सा.05 एवं आयुध परीक्षक सुरेश दुबे अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

11. साक्षी चन्द्रभान सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 12/01/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि घटना वाले दिन प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र, आरक्षक ब्रजेन्द्र एवं वह वाहनों की चैकिंग के लिये गये थे। वह पिपहाड़ी हेट पर चैकिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो व्यक्ति मोटर साईकिल से आये, उन्हें उसके द्वारा रोका गया एवं चैक किया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी माताप्रसाद के पास से एक 315 बोर का कट्टा मिला था, राउण्ड जो व्यक्ति मोटर साईकिल पर पीछे बैठा उससे मिले थे, जिस व्यक्ति के पास से राउण्ड मिले थे, उसका अमर सिंह था। आरोपी से मोटर साईकिल भी जब्त की गई थी। जब्ती की कार्यवाही प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह ने की थी। साक्षी आगे कहता है कि माताप्रसाद से एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ था और मोटर साईकिल बरामद हुई थी, जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 है, जो कि माताप्रसाद का है, जिसके

ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी अमर सिंह से जब्त किये गये राउण्डों का जब्ती पंचनामा प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी माताप्रसाद का गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी अमर सिंह का गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद माय माल थाना वापस लाया गया था और थाने पर लिखा-पढ़ी हुई थी।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में चन्द्रभान अ.सा.01 का कहना है कि वह पिपहाड़ी हेट 12:30 बजे पहुँच गया था और उसने 10-12 गाड़ियाँ चैक की थी। जिस गाड़ी को उसने चैक किया वह 13 बजकर 15 मिनट अर्थात् दोपहर 01:15 बजे आ गई थी, जिस पर बैठे व्यक्तियों की तलाशी लेने के बाद लगभग 15 मिनट बाद उसने प्र.पी.01 लगायत 04 के जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रकों पर हस्ताक्षर किये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में चन्द्रभान अ.सा.01 का कहना है कि उसने एवं उसके साक्षी वीरेन्द्र अ.सा.05 ने दोपहर दो बजे के बाद ना तो कोई जब्ती की, ना आरोपीगण को घटना दिनांक को गिरफ्तार किया। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 पढ़े थे, तब उनपर 13 बजकर 15 मिनट का समय डला था और ऐसा नहीं हुआ था कि उसने जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 पर 13 बजकर 15 मिनट के पश्चात् हस्ताक्षर किये हो। उल्लेखनीय है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 पर जब्ती का समय 15:15 एवं 15:30 अर्थात् दोपहर 03:15 एवं 03:30 अंकित है। साक्षी ब्रजेन्द्र अ.सा.03 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि उसने हस्ताक्षर 15:15, 15:30, 15:35 एवं 15:40 अर्थात् दोपहर 03:15, 03:30, 03:35 एवं 03:40 बजे किये थे। इस प्रकार जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 एवं साक्षी ब्रजेन्द्र अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित समय तथा साक्षी चन्द्रभान अ.सा.01 द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उल्लेखित जब्ती एवं गिरफ्तारी के समय में दो घण्टे से अधिक का अन्तर है, जो कि आरोपीगण की जब्ती एवं गिरफ्तारी के तथ्य की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में चन्द्रभान अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पिपहाड़ी हेट पर कट्टे एवं कारतूसों को जो कि प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 में उल्लेखित है, सीलड नहीं किया गया था। जबकि ब्रजेन्द्र अ.सा.03 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कहना है कि उसके सामने घटनास्थल पर कट्टे सीलड होने की कार्यवाही की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि घटनास्थल पर धागा, कपड़ा, चपड़ी एवं सील थी और चपड़ी की सील उस कपड़े पर लगाई गई थी, जिसमें कट्टा सिलकर रखा गया था और उक्त सील जब्ती पत्रक पर नमूने के तौर पर लगाई गई थी। उल्लेखनीय है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 पर कोई नमूना सील अंकित नहीं है और जब्तशुदा कट्टा कारतूस मौके पर सीलबंद किये थे, अथवा नहीं, इस वावत् चन्द्रभान अ.सा.01 तथा ब्रजेन्द्र अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। चूँकि कथित रूप से जब्तशुदा

कट्टे एवं कारतूस को साक्षी चन्द्रभान अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार घटनास्थल पर सीलड नहीं किया गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 लगायत ए-04 वहीं कट्टा एवं कारतूस है, जो आरोपीगण से घटनास्थल पर कथित रूप से जब्त किये गये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में चन्द्रभान अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी माताप्रसाद से कोई कारतूस जब्त नहीं हुआ था, जबकि अभियोजन कथा के अनुसार आरोपी माताप्रसाद से एक 315 बोर का जिंदा कारतूस जब्त हुआ था। इस प्रकार इस तथ्य के संबंध में चन्द्रभान अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में दर्शित तथ्यों, बिजेन्द्र अ.सा.03 एवं वीरेन्द्र अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

14. अभियोजन साक्षी दिनेश कुमार ओझा अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 26/04/2013 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 170, दिनांक : 12/03/2013 द्वारा थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 13/2013 से संबंधित केस डायरी एवं सील बंद आयुध आरक्षक क्रमांक 1043 श्री ब्रजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त माताप्रसाद पुत्र कप्तान सिंह कुशवाह, निवासी : कडियार, थाना-पोरसा, जिला-मुरैना के आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 एवं अभियुक्त अमर सिंह पुत्र रामस्वरूप, निवासी : कडियार, थाना-पोरसा, जिला-मुरैना के आधिपत्य में अवैध रूप से दो 315 बोर के जिंदा कारतूस पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त स्वीकृति प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ के रूप में कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी दिनेश कुमार ओझा अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी दिनेश कुमार ओझा का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी माताप्रसाद एवं अमर सिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

15. अभियोजन साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 28/01/2013 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म्स मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 13/2013 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं तीन जिंदा कारतूस की जांच उसके द्वारा की गई थी। जाँच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया गया, एक्शन सही पाया गया, कट्टा चालू हालत में था,

जिससे फायर किया जा सकता था। तीन कारतूस 315 बोर के चालू हालत में थे, जिससे फायर किया जा सकता था। उक्त कारतूस की पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। साक्षी आगे कहता है थाना गोहद चौराहा के प्रधान आरक्षक क्रमांक 405 अमर बहादुर सिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर, पंचनामा, एफआईआर एवं जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। कट्टा एवं कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जॉच हेतु प्राप्त हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि जॉच पश्चात् कर अपनी नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सील बंद कर पुनः थाना वापस किया गया। इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जॉच रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.04 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति परीक्षण उपरांत भी साक्षी सुरेश दुबे अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित रहा है। सुरेश दुबे अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपीगण से जब्तशुदा 315 बोर का तीन जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी माताप्रसाद ने दिनांक :- 12/01/2013 को दोहर लगभग 03:15 बजे पिपहाड़ी हेट नहर के पास सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर का तथा एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा एवं आरोपी अमर सिंह ने अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 315 बोर के दो जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे।

अन्तिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण माताप्रसाद एवं अमर सिंह के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.06/एम.एफ./5004 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी मदन सिंह कुशवाह पुत्र कप्तान सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

20. प्रकरण में आरोपीगण से जब्तशुदा कट्टा एवं तीन जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद